



चित्रकूट-पुलिस

(1). “मिशन शक्ति फेज-5.0: महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल — जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन, को समर्पित “मिशन शक्ति अभियान-5”

“मिशन शक्ति फेज-5.0: महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल — जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन, को समर्पित पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एंटीरोमियो टीम द्वारा “मिशन शक्ति फेज-5.0 के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण, स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम, निम्न आय वर्ग बस्तियों, गांवों, वार्डों, मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों, कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।
2. महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता, साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी, महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।
3. बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण, गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारी दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओं की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवैसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओं को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वाड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओं एवं बालिकाओं का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रूप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतों को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रूप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). आज दिनांक 26.11.2025 को संविधान दिवस के अवसर पर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय में नियुक्त समस्त अधिकारी/कर्मचारीगण को संविधान के प्रस्तावना की शपथ दिलायी गयी। तत्पश्चात पुलिस अधीक्षक द्वारा संविधान के निर्माता डॉ० भीमराव अम्बेडकर व संविधान के विषय में विस्तृत रूप से जानकारी दी गयी तथा पुलिस कार्यालय का भ्रमण कर कार्यालय के बाहरी परिसर को साफ- सफाई हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया। इस दौरान क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री राज कलम द्वारा क्षेत्राधिकारी कार्यालय राजापुर में, क्षेत्राधिकारी मऊ श्री फहद अली द्वारा थाना मानिकपुर में थाना/कार्यालय में नियुक्त समस्त अधिकारी/कर्मचारीगण को संविधान की प्रस्तावना की शपथ दिलायी गयी।

इस अवसर पर वाचक पुलिस अधीक्षक श्री राजीव कुमार सिंह, निरीक्षक एलआईयू श्री नागेन्द्र भूषण पाण्डेय, आईजीआरएस प्रभारी निरीक्षक श्री नागेन्द्र नागर एवं कार्यालय में नियुक्त समस्त अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहें।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में ऑपरेशन मुस्कान के क्रम में चौकी शिवरामपुर पुलिस टीम ने गुमशुदा किशोर को सकुशल बरामद कर परिजन को सुपुर्द किया गया।

उल्लेखनीय है कि आज दिनांक 26.11.2025 को दोपहर 2:00 बजे गीता नागर पत्नी राजू नागर निवासी ग्राम शिवरामपुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट द्वारा चौकी शिवरामपुर में सूचना दी गई की उनका पुत्र शुभेंद्र प्रताप नागर उम्र करीब 17 वर्ष दिनांक 25.11.2025 को समय लगभग 2:30 दोपहर को घर से नाराज होकर कहीं चला गया था, जो अभी तक घर पर वापस नहीं आया है। इस सूचना पर चौकी प्रभारी शिवरामपुर सनी कुमार चतुर्वेदी मय हमराह का० विपिन कुमार के द्वारा शिवरामपुर में लगे सीसीटीवी कैमरा व रेलवे स्टेशन कर्वी में लगे सीसीटीवी कैमरों तथा गोपनीय जानकारी की गयी तो जानकारी हुई कि शुभेंद्र प्रताप नागर नाराज होकर लखनऊ में अपने दोस्त के घर चला गया था जिसको सकुशल बरामद कर उसके माता-पिता को सुपुर्द किया गया। शुभेंद्र प्रताप नागर द्वारा बताया गया कि मेरे घर की बातों को लेकर मैं अपने दोस्त के पास लखनऊ चला गया था। जिसको सकुशल बरामद कर परिजनों को सुपुर्द किया गया। परिजनों द्वारा चौकी शिवरामपुर पुलिस टीम को बार-बार धन्यवाद किया गया।

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में सामाजिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केन्द्र पुलिस टीम द्वारा आपसी परिवारिक झगड़े को समाप्त कराकर परिवार में सुलह कराते हुए परिवार को टूटने से बचाया।

आवेदिका श्रीमती मंजू देवी पुत्री मंगल निवासी बनकट थाना कोतवाली कर्वी ने अपने पति मिथलेश पुत्र सुरवलाल निवासी खजुरिहा के विरुद्ध लड़ाई झगड़ा, मारपीट व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया गया। पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा प्रार्थना-पत्र के निस्तारण हेतु प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र को निर्देशित किया गया। परिवार परामर्श केन्द्र प्रभारी उ०नि० श्रीमती रंजना तिवारी, मुख्य महिला आरक्षी रजनी सिंह व महिला आरक्षी सोनिका द्विवेदी द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायतों को विस्तारपूर्वक सुनकर समझकर द्वितीय पक्ष से सम्पर्क करके उन्हें पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केंद्र बुलाया गया तथा दोनों पक्षों को समझाया गया। दोनों पक्षों द्वारा भविष्य में आपस में पारिवारिक सामंजस्य बनाकर रहने तथा कर्तव्यों का सही से पालन करने की बात कही गयी। आपसी सुलह होने पर दम्पति जोड़ों को एक दूसरे के साथ-साथ आपस में सामंजस्य बिठाकर एवं पारिवारिक दायित्वों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी।

समझौता कराने वाली टीम:-

1. प्रभारी परिवार परामर्श केंद्र उ०नि० श्रीमती रंजना तिवारी

2.मुख्य महिला आरक्षी रजनी सिंह

2.महिला आरक्षी सोनिका द्विवेदी

(5). आज दिनांक 27.11.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में थानाध्यक्ष बहिलपुरवा श्री सत्यपति त्रिपाठी द्वारा बजरंग इण्टर कालेज बहिलपुरवा में यातायात जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं एवं विद्यालय स्टाफ को यातायात नियमों की जानकारी दी गई तथा सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु सावधानियाँ अपनाने के संबंध में विस्तृत रूप से जागरूक किया गया। थानाध्यक्ष द्वारा वाहन चलाते समय हेलमेट एवं सीट बेल्ट के प्रयोग, नाबालिगों द्वारा वाहन न चलाने, नशे की हालत में ड्राइविंग से बचने तथा सड़क पर निर्धारित गति सीमा का पालन करने जैसी आवश्यक बातें बताई गईं। थानाध्यक्ष द्वारा उपस्थित विद्यार्थियों को यातायात नियमों का पालन करने और अपने परिवार व समाज को भी इसके प्रति जागरूक करने का संदेश दिया गया। इसके अतिरिक्त एण्टीरोमियों टीम द्वारा मिशन शक्ति व साइबर क्राइम/फ्रॉड्स आदि के बारे में भी सभी छात्र एवं छात्राओं/विद्यालय स्टाफ को जागरूक किया गया तथा शासन एवं प्रशासन की महत्वपूर्ण एवं लाभप्रद योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया गया। पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी आवश्यक एवं आपातकालीन हेल्पलाइंस के बारे में भी अवगत कराया गया।

(6). आज दिनांक 27.11.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री लाखन सिंह द्वारा राजकीय बालिका इंटर कॉलेज राजापुर में यातायात जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं एवं विद्यालय स्टाफ को यातायात नियमों की जानकारी दी गई तथा सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु सावधानियाँ अपनाने के संबंध में विस्तृत रूप से जागरूक किया गया। प्रभारी द्वारा वाहन चलाते समय हेलमेट एवं सीट बेल्ट के प्रयोग, नाबालिगों द्वारा वाहन न चलाने, नशे की हालत में ड्राइविंग से बचने तथा सड़क पर निर्धारित गति सीमा का पालन करने जैसी आवश्यक बातें बताई गईं। प्रभारी द्वारा उपस्थित विद्यार्थियों को यातायात नियमों का पालन करने और अपने परिवार व समाज को भी इसके प्रति जागरूक करने का संदेश दिया गया। इसके अतिरिक्त एण्टीरोमियों टीम द्वारा मिशन शक्ति व साइबर क्राइम/फ्रॉड्स आदि के बारे में भी सभी छात्र एवं छात्राओं/विद्यालय स्टाफ को जागरूक किया गया तथा शासन एवं प्रशासन की महत्वपूर्ण एवं लाभप्रद योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया गया। पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी आवश्यक एवं आपातकालीन हेल्पलाइंस के बारे में भी अवगत कराया गया।

(7). आज दिनांक- 27.11.2025 को जिलाधिकारी चित्रकूट श्री पुलकित गर्ग एवं पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा जिला कारागार का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक ने सीसीटीवी कैमरा के संचालन, महिला बैरक में निरुद्ध महिलाओं से खान-पान आदि के बारे में जानकारी की तथा जेल अधीक्षक को निर्देशित किया कि शासन की गाइड लाइन के अनुसार दूरभाष पर बात भी कराते रहें। हाई सिक्योरिटी बैरक में कैदियों की खाना तलाशी कराकर अधीक्षक जिला कारागार को निर्देशित किया गया कि कैदियों को मीनू के अनुसार खान-पान की व्यवस्था रहे। निरुद्ध कैदियों के लिए आरो पानी की सप्लाई, रसोईघर का निरीक्षण करते हुये जेल अधीक्षक से कहा कि कैदियों को भोजन, नाश्ता प्रतिदिन मीनू के अनुसार दिया जाए इसमें कोई अव्यवस्था नहीं होना चाहिए। ठंड को देखते हुए जेल में निरुद्ध कैदियों को शासन द्वारा निर्धारित सामाग्री उपलब्ध कराये जाने, जो सुविधाएं अनुमन्य है उसी के अनुसार व्यवस्था करना सुनिश्चित करें।

(8).श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री श्याम प्रताप पटेल एवं पैरोकार आरक्षी प्रशान्त कुमार, प्रभारी मानिट्रिंग सेल श्री प्रभुनाथ यादव उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अपर जिला शासकीय अधिवक्ता गोपाल दास द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट चित्रकूट श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव द्वारा आज दिनांक 27.11.025 को पैरवी हेतु मुख्यालय से चिन्हित थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 479/2012 धारा 420,467,468,471 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त राकेश कुमार पटेल पुत्र रामहित पटेल निवासी जबरापुर थाना फतेहगंज जनपद बादां हाल मुकाम मिशन रोड शत्रुघनपुरी एलआईसी ऑफिस के सामने थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 04 वर्ष का सश्रम कारावास व 15,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 09.09.2012 को उ0नि0 घनश्याम पाण्डेय थाना कोतवाली कर्वी ने अभियुक्त राकेश कुमार पटेल को श्रीमती अनूपा देवी द्वारा पूर्व में दिये गये फोटो व वोटर आईडी कार्ड का दुरुपयोग करते हुए फर्जी सिम जारी कर देना तथा बदमशों व डकैतों को उपलब्ध कराते हुए पकड़े जाने के सम्बन्ध में थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 479/2012 धारा 420,467,468,471,216ए भा0द0वि0 बनाम उपरोक्त अभियुक्त पंजीकृत किया गया था। जिसकी विवेचना तत्कालीन उ0नि0 श्री विष्णुपाल सिंह द्वारा सम्पादित की गई तथा दिनांक 26.11.2012 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था।

(9). आज दिनांक 27.11.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा जनपद चित्रकूट के जनप्रतिनिधियों के साथ गोष्ठी की गयी। इस गोष्ठी में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा माननीय जनप्रतिनिधियों से जनपद में नागरिकों को होने वाली समस्याओं के सम्बन्ध में पूछा गया तथा बेहतर कानून व्यवस्था हेतु सुझाव लिये गये। इस गोष्ठी में माननीय मऊ मानिकपुर विधायक श्री अविनाश चन्द्र द्विवेदी,नगर पालिका अध्यक्ष कर्वी श्री नरेन्द्र गुप्ता,कोआपरेटिव बैंक चित्रकूट बांदा अध्यक्ष श्री पंकज अग्रवाल एवं जिलाध्यक्ष भा0ज0प0 श्री महेन्द्र कोटार्य उपस्थित रहे।

(10).पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में ऑपरेशन मुस्कान के क्रम में चौकी परिक्रमा मार्ग खोही टीम ने विछिप्त महिला को सकुशल बरामद कर परिजन को सुपुर्द किया गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 26.11.2025 को चौकी खोही परिक्रमा मार्ग में सूचना मिली कि एक विक्षिप्त महिला सूरज गऊ मंदिर के पास भटक रही है इस पर तत्काल चौकी प्रभारी परिक्रमा मार्ग खोही उ0नि0 अरविंद सिंह मय हमराह उ0नि0 कैलाश राम एवं आरक्षी अभिषेक यादव के साथ मौके पर पहुंचे तो पाया कि महिला ठंड से कांप रही थी एवं कुछ भी बताने में असमर्थ थी उसे एक पास के महिला दुकानदार के पास कंबल की व्यवस्था करवा कर व अलाव जलाकर उसे रात्रि विश्राम करवाया गया सुबह जब जागी तो वह अपना नाम पूनम पुत्री अवधेश कुमार अग्निहोत्री उम्र 45 वर्ष व एक पता एड्रेस बताने में समर्थ हुई जो अपना निवास - 6/3 साइड नंबर एक अपार फ्लोर किदवई नगर कानपुर बता रही थी इस पर चौकी परिक्रमा मार्ग पुलिस द्वारा थाना किदवई कमिश्नरेट कानपुर में संपर्क किया एवं एड्रेस के बारे में पता करके बताया गया जिस पर किदवई नगर प्रभारी संबंधित जगह एवं पते पर गए तो पाया वह है पता महिला पूनम के मायके का एड्रेस है जिस पर आज दिनांक 27.11.2025 को संबंधियों को सूचना दी गई तब संबंधी तत्काल चित्रकूट के लिए रवाना हुए चित्रकूट में अपनी परिजन को पाकर खुश हुए। महिला को उसकी भतीजी कोमल तिवारी पुत्री मनोज तिवारी निवासी 127/309 जूही गढा थाना जूही कमिश्नरेट कानपुर को सुपुर्द किया गया। परिजनों द्वारा चौकी परिक्रमा मार्ग खोही पुलिस टीम को बार-बार धन्यवाद किया गया।